22 फरवरी, 2017 को इन्दौर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

1. यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इन्दौर एवं उसके आस–पास के लोगों की सुविधा हेतु मध्यप्रदेश में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र का उद्घाटन करने का सुअवसर और सम्मान प्राप्त हुआ है। मैंने कुछ समय पहले ही अपने चुनाव क्षेत्र (इन्दौर) के लोगों के लिए एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से निवेदन किया था। माननीया सुषमा जी ने उस निवेदन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई और उनके गतिशील नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने अथक रूप से कार्य करते हुए मेरे द्वारा जनता को दिए गए वादे को पूरा करने में सहायता की है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं।

2. इन्दौर शहर के विकास की दिशा में होने वाली हर छोटी–बड़ी गतिविधियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं एवं मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वास्तव में, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इस इलाके में पासपोर्ट सेवा को और बेहतर और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इंदौर विकास प्राधिकरण को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस लघु सेवा केन्द्र को खोलने के लिए जगह उपलब्ध करवाई।

3. जनसंख्या की दृष्टि से इन्दौर अपने–आप में एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए विकास की राह पर अग्रसर है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों शिक्षा संस्थान हैं। इन्दौर, राज्य का व्यापारिक और वाणिज्यिक केन्द्र रहा है। इसके अलावा, शोध और शिक्षा, कला और संस्कृति और मीडिया तथा फैशन के क्षेत्रों में भी इस शहर ने देश में बहुत नाम कमाया है। इन्हीं खूबियों के कारण इंदौर को अक्सर मध्यप्रदेश राज्य की शैक्षिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। देश के कोने–कोने से लोग रोजी–रोटी कमाने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहां आकर बस गए जिससे यहां की

संस्कृति विविधतापूर्ण हो गई है। एक cosmopoliton city के रूप में यह शहर पूरे भारत की विविधता को प्रकट करता है एवं इस शहर की अपनी अलग अनूठी संस्कृति है। इस लिहाज से भी यह पासपोर्ट सेवा केन्द्र बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस पासपोर्ट सेवा केन्द्र से न केवल इन्दौर बल्कि मालवा क्षेत्र के निवासी भी इस सुविधा से लाभान्वित होंगे और इससे उनके समय और पैसे की बचत होगी।

4. यह सर्वविदित तथ्य है कि भ्रमण मनुष्य की प्रवृत्ति रही है। शिक्षा, पर्यटन, राजकाज के काम इत्यादि विभिन्न कारणों से लोग आते–जाते रहे है। प्राचीन काल में भारत में भी राजाओं द्वारा तीन तरह के Documents ऐसी यात्राओं के लिए valid होते थे– राजा द्वारा जारी परिचय पत्र/अनुमति पत्र, व्यापारियों के Guild और financial transaction करने वाले साहूकारों की हुण्डियां, इन सब पर राजमुद्रा लगी होती थी, जो इन्हें प्रमाणित करती थीं। इनका वर्णन सर्वप्रथम चाणक्य के अर्थशास्त्र में आता है। धीरे–धीरे इन दस्तावेजों का स्वरूप बदला। Passport was, in fact, a medieval document that was required in order to pass through the gate (or porte) of a city wall or to pass through a territory. मध्यकालीन यूरोप में इसे ही ''पासपोर्ट'' के रूप में जाना गया, जो उन यात्रियों को उन शहरों की local authorities द्वारा जारी किया जाता था, जिसमें उन शहरों का विवरण होता था जहां से यात्री विशेष को गुजरना होता था। पासपोर्ट जारी करने का श्रेय सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम को जाता है।

5. मित्रो! आज विश्व एक Global Village बन गया है। आज सम्पूर्ण विश्व में Social और Economic mobility बहुत बढ़ी है। देश और विदेश में आवाजाही बहुत बढ़ी है। देश के विकास के साथ–साथ लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आमदनी में बढ़ोत्तरी होने से एवं इन्टरनेट, केबल टी.वी. और टेक्नोलॉजी के प्रचार–प्रसार से देश और विदेश के बीच की दूरियां कम हुईं हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2013 में लगभग एक करोड़ तीस लाख भारतीयों ने विदेश की यात्राएं कीं थी। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2017 तक यह संख्या दुगुनी हो जाएगी जबकि अगले बीस वर्षों में यह संख्या बढ़कर छह गुनी हो

सकती है। इसके साथ ही, Indian Students Mobility Report 2016 के हिसाब से भारत से पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले बच्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत International Student Mobility Market में सबसे आगे हैं। वर्ष 2014 से लगभग हर वर्ष साढ़े तीन लाख विद्यार्थी अध्ययन हेतु विदेश जा रहे हैं।

6. दुनिया में सबसे ज्यादा diaspora population भारतीयों की है और भारतीय जहां भी जाते हैं वे अपनी मेहनत, कर्मठता, कार्यकुशलता, ईमानदारी, अनुशासन और law abiding nature के लिए जाने जाते हैं। इसलिए, भारतीय श्रम–संसाधनों की विदेश में बहुत मांग है और वे वहां बहुत लोकप्रिय हैं। एक आकलन के अनुसार, 90 प्रतिशत विदेश जाने वाले भारतीय या तो अपने संबंधियों से मिलने के लिए या पर्यटन के लिए विदेश जाते हैं। आज दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ भारतवासी अथवा भारतीय मूल के लोग दुनिया भर के विभिन्न देशों में निवास करते हैं और भारत में रहने वाले उनके सगे–संबंधी अक्सर उनसे मिलने विदेश जाते रहते हैं।

7. विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ने के साथ–साथ इससे देश भर में देशवासियों की पासपोर्ट और इससे जुड़ी सेवाओं की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। पासपोर्ट इसके लिए एक अहम दस्तावेज है। पासपोर्ट की मांग में हर साल लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है और यह मांग बड़े और छोटे दोनों तरह के शहरों से हो रही है। उसी तर्ज पर, मध्यप्रदेश राज्य में भी पासपोर्ट सेवाओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक भोपाल स्थित पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट जारी करने की मांग को पूरा करता आ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस राज्य में दूसरा पासपोर्ट सेवा केन्द्र खुल जाने से भोपाल पासपोर्ट कार्यालय के काम का बोझ कम हो जाएगा।

8. मुझे यह जानकारी दी गई है कि भारत में पासपोर्ट जारी करने की शुरुआत सन् 1955 में केवल 5 पासपोर्ट कार्यालयों से की गई थी और अब यह नेटवर्क 38 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, 90 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (इंदौर को भी शामिल करके) और 184

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों तक फैल गया है तथा यह तंत्र भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

9. खुशी की बात यह भी है कि पासपोर्ट जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया अब ऑनलाइन सुव्यवस्थित और पारदर्शी बन चुकी है। परंतु सभी आवेदकों को अपने बॉयोमीट्रिक्स और फोटो (छायाचित्र) जमा करने के लिए पासपोर्ट सेवा केन्द्र (PSK) में उपस्थित होना पड़ता हैं। मुझे यह बताया गया कि ग्रामीण भीतरी क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा public service centre अधिकृत किये गए हैं जो online passport आवेदन करने तथा appointment date लेने के लिए नागरिकों को मात्र 100 रुपये के शुल्क में सेवाएं मुहैया कराएँगे।

10. यह भी प्रशंसनीय है कि देश के 736 पुलिस जिलों में से 698 से ज्यादा जिले पासपोर्ट सेवा के साथ एकीकृत हो चुके है जिन्होंने डीपीएचक्यू मॉडल अपना लिया है जिसमे पुलिस वेरिफिकेशन को digitally process किया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2015 में average police verification का समय जहाँ 36 दिन था, वही इस वर्ष यह घटकर 29 दिन हो गया।

11. यहां मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि पासपोर्ट सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए ताकि पुलिस वेरीफिकेशन एवं व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने में तय समय से भी कम समय लगेगा। साथ ही, वर्तमान समय में वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ठोस एवं उत्कृष्ट जांच तंत्र तैयार करना हम सबकी प्राथमिकता है। हमें travel and tourism भी बढ़ाना है, culture को भी promote करना है, economy को भी शिखर पर ले जाना है और देश को terror and financial fraud से भी बचाना है। अतः, यह अत्यन्त आवश्यक है कि पासपोर्ट जारी करते समय उन सभी सावधानियों एवं बारीकियों का ध्यान रखना हम सबका कर्त्तव्य बनता है। मुझे विश्वास है कि इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा होगा।

12. मैं इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों के लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ जो पीएसएलके के संचालित होने से बहुत लाभान्वित होंगे। अब इंदौर और उज्जैन संभाग के आवेदकों को भोपाल में पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं citizen centric पासपोर्ट कार्यालयों की एक त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करती हूँ। मैं आप सभी को इस अवसर पर आने के लिए धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयास मध्य प्रदेश के लोगों को सुलभ और विश्वसनीय तरीके से पासपोर्ट लेने में मदद करेगा।

जय हिन्द।

———————